

समाहरणालय, नालन्दा।

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
प्रारम्भिक अधिघोषणा
शुद्धि-पत्र

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

परियोजना का नाम- सिलाव-गिरियक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य।
मौजा का नाम-बड़ाकर, थाना नं0-454, अंचल-सिलाव, जिला-नालन्दा

दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" एवं "प्रभात खबर" में दिनांक 27.07.2018 एवं 26.07.2018 के पृष्ठ संख्या 08 पर तथा "जिला गजट" के असाधारण अंक संख्या 04 दिनांक 30.07.2018 के पृष्ठ संख्या 06 से 08 तक पर प्रकाशित अधिघोषणा संख्या-1100, दिनांक 21.07.2018 को निम्नांकित संशोधन के साथ पढ़ा एवं समझा जाय।

- (1) दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" की पंक्ति 02 एवं 03 में एवं "प्रभात खबर" की पंक्ति 02 एवं 03 में तथा "जिला गजट" की पंक्ति 03 एवं 04 में प्रकाशित कमोवेश रकवा 1.9225 एकड़ के स्थान पर रकवा 1.8525 एकड़ एवं 0.77802 हेक्टेअर के स्थान पर 0.74969 हेक्टेअर पढ़ा एवं समझा जाय।

समाहर्ता,
नालन्दा।

ज्ञापांक-...1414/भू0अ0, दिनांक-...15/09/2018

प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को स्थानीय भाषा के दो समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित करने और प्रकाशित संस्करण को इस कार्यालय एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय नालन्दा को यथाशीघ्र भेजने हेतु। PR No-11290(राजस्व)/17-18 से प्रकाशित।

प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी सामान्य शाखा, नालन्दा बिहारशरीफ को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, नालन्दा को प्रेषित करने हेतु।

प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

प्रतिलिपि:- सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी(NIC) नालन्दा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, नालन्दा/अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर/अंचल अधिकारी, सिलाव एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पठ पर प्रकाशन हेतु।

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता,
नालन्दा।